इनवॉयस / टैक्स इनवॉयस

जी0एस0टी0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत करदेय मालों की सप्लाई करने वाला कोई निबंधित व्यक्ति क्रेता को डिलीवरी प्रदान करने के उद्देश्य से माल को भेजते समय अथवा प्राप्तिकर्त्ता / क्रेता को माल उपलब्ध कराते समय, टैक्स इनवॉयस जारी करेगा।

इसी प्रकार करदेय सेवाओं की सप्लाई करने वाला कोई निबंधित व्यक्ति सेवाओं को प्रदान किये जाने के पूर्व अथवा बाद में, किन्तु विहित अवधि के भीतर, टैक्स इनवॉयस निर्गत करेगा। (धारा–31)

सेवाओं के मामले में टैक्स इनभॉयस निर्गमन की समय सीमा

क. करदेय सेवाओं की आपूर्ति के मामले में सेवाओं की आपूर्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर इनवॉयस निर्गत किये जायेंगे।

ख. अगर सेवाओं की आपूर्ति करने वाला आपूर्तिकर्त्ता बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान अथवा गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनी है तो सेवा की आपूर्ति प्रदान किये जाने की तिथि से 45 दिन के अंदर इनवॉयस निर्गत किये जायेंगे।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत किसी टैक्स इनवॉयस में निम्न ब्यौरों का होना आवश्यक है :–

(a) सप्लायर (विक्रेता) का नाम, पता एवं जी0एस0टी0 की निबंधन संख्या (GSTIN);

(b) इनवॉयस का क्रमांक जो 16 अंकों से अधिक नहीं होगा तथा यह लगातार क्रमांकित होगा। इसमें अक्षर, अंक, Special Character ($,@,!) का इस्तेमाल किया जाएगा;

(c) इनवॉयस को निर्गत करने की तिथि;

(d) प्राप्ति कर्त्ता व्यक्ति का नाम, पता एवं प्राप्तिकर्ता की निबंधन संख्या (GSTIN);

(e) यदि प्राप्ति कर्त्ता व्यक्ति अनिबंधित है तथा करदेय आपूर्ति का मूल्य रू0 50,000 या उससे अधिक है तो प्राप्तिकर्त्ता व्यक्ति का नाम, पता तथा डिलीवरी जहां होनी है उसका पता, संबंधित राज्य एवं राज्य का कोड;

(f) मालों का HSN कोड या सेवाओं के मामले में SAC कोड;

(g) वस्तु अथवा सेवाओं का विवरण (Description);

(h) माल की मात्रा;

(I) माल अथवा सेवाओं या दोनों के आपूर्ति का कुल मूल्य (डिस्काउंट की राशि घटाने के बाद);

(J) माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के आपूर्ति का करदेय मूल्य;

(k) CGST/SGST/IGST के कर की दर;

(l) करदेय वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए चार्ज किये गये टैक्स की राशि;

(m) यदि अन्तर्प्रान्तीय आपूर्ति (Interstate Supply) हो तो आपूर्ति का स्थान एवं संबंधित राज्य का नाम;

(n) यदि आपूर्ति के स्थान से हट कर डिलीवरी किसी अन्य स्थान पर की जा रही हो तो डिलीवरी के स्थान का पता;

(o) अगर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर की देयता बनती है तो इस आधार पर देय कर की राशि; और

(p) आपूर्ति कर्त्ता या उसके प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर / डिजीटल हस्ताक्षर।

ऐसे इनवॉयस पर "टैक्स इनवॉयस" अंकित रहेगा। वर्तमान में ऐसे करदाता जिनका सकल आवर्त रू0 1.5 करोड़ से अधिक किन्तु रू0 5 करोड़ से कम है उन्हें दो अंकों का HSN कोड एवं जिनका सकल आवर्त रू0 5 करोड़ से अधिक है उनके लिए चार अंकों का HSN कोड अंकित किये जाने का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति जिनका सकल आवर्त रू0 1.5 करोड़ से कम है, वे चाहें तो HSN कोड अंकित नही भी कर सकते है।

निर्यातकों (Exporter) के लिए इनवॉयस

माल या सेवाओं के निर्यात की स्थिति में निर्गत किये जाने वाले बीजक पर निम्न तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है :–

"SUPPLY MEANT FOR EXPORT ON PAYMENT OF IGST" or

"SUPPLY MEANT FOR EXPORT UNDER BOND OR LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF IGST",

इसके अतिरिक्त निर्यातकों द्वारा उपर वर्णित खण्ड (e) के स्थान पर इनवॉयस में निम्न सूचनाएँ अंकित की जायेगी :–

1. प्राप्तिकर्त्ता का नाम एवं पता,
2. डिलीवरी के स्थान का पता,
3. गंतव्य देश का नाम और
4. निर्यात हेतु माल के Removal के लिए दिए गए आवेदन का क्रमांक एवं तिथि

टैक्स इनवॉयस निर्गत करना जरूरी नहीं

कोई निबंधित व्यक्ति रूपये 200 से कम मूल्य के माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति (बिक्री) के लिये टैक्स इनवॉयस निर्गत नहीं कर सकता है, यदि–

a. प्राप्तिकर्ता व्यक्ति जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित नहीं हो,

b. यदि प्राप्तिकर्त्ता व्यक्ति ऐसा इनवॉयस लेना नहीं चाहता हो।

- किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा रू0 200 से कम मूल्य के supply/बिक्री के लिए इनवॉयस निर्गत नहीं किये गये हों तो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रत्येक दिन के अन्त में ऐसे सभी सप्लाई के लिए एक समेकित टैक्स इनवॉयस निर्गत किया जायेगा।

Bill of Supply

- किनके द्वारा निर्गत किया जायेगा :–
  यदि निबंधित व्यवसायी द्वारा कर मुक्त माल या सेवाओं की आपूर्ति की जा रही हो,
  वैसे व्यवसायी जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत निबंधित हों,
  के द्वारा Bill of Supply निर्गत किया जाएगा,
- किसी सप्लायर (विक्रेता) द्वारा निर्गत किये जाने वाले Bill of Supply में सप्लायर का नाम, पता, जी0एस0टी0 की निबंधन संख्या (GSTIN), विपत्र का क्रमांक एवं तिथि, प्राप्तिकर्त्ता/क्रेता का नाम, पता एवं GSTIN/UIN यदि हो, माल एवं सेवाओं के कोड, माल एवं सेवाओं के विवरण, करदेय मूल्य तथा सप्लायर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे।
- किसी Non-Taxable सप्लाई के लिए निर्गत किसी टैक्स इनवॉयस को अथवा इसके समतुल्य निर्गत किसी अन्य विपत्र को भी Bill of Supply ही माना जायेगा।

अन्य प्रावधान

- यदि किसी निबंधित व्यक्ति द्वारा माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जाता है तो उसके द्वारा आवश्यक विवरण के साथ प्राप्ति वाउचर (Receipt Voucher) निर्गत किया जायेगा।
- यदि कोई निबंधित व्यक्ति रिवर्स चार्ज के आधार पर कर भुगतान करने हेतु दायी है तो उसके द्वारा अनिबंधित व्यक्ति से प्राप्त किये गये माल अथवा सेवाओं के लिए, माल/सेवा प्राप्ति की तिथि को ही, इनवॉयस निर्गत किया जायेगा।
- कोई निबंधित व्यक्ति, निबंधन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के एक माह के भीतर, निबंधन की प्रभावी तिथि (करदेयता तिथि) और जिस तिथि को उसे निबंधन प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, इस बीच की अवधि में निर्गत हुए बिक्री मेमो के लिए संशोधित इनवॉयस

(Revised Invoice) जारी कर सकता है। ऐसे इनवॉयस पर संशोधित इनवॉयस (Revised Invoice) अंकित होगा एवं साथ ही पूर्व में निर्गत ओरिजनल इनवॉयस के क्रमांक एवं तिथि भी अंकित होंगे।

- माल के लगातार अथवा निरंतर सप्लाई की स्थिति में जहाँ क्रमानुसार लेखा विवरण (Account Statement) निर्गत किये जाते हों या क्रमानुसार भुगतान प्राप्त किया जाता हो, वहाँ ऐसे प्रत्येक लेखा विवरण जारी करते समय या भुगतान प्राप्ति के समय इनवॉयस निर्गत किया जायेगा।
- सेवाओं के लगातार अथवा निरंतर सप्लाई की स्थिति में –
  i. जहाँ कॉन्ट्रैक्ट से भुगतान के नियत तिथि का पता चलता हो वहाँ भुगतान की नियत तारीख को या इसके पूर्व इनवॉयस जारी किया जायेगा।
  ii. जहाँ कॉन्ट्रैक्ट से भुगतान के नियत तिथि का पता नही चलता हो वहाँ सेवाओं के सप्लायर द्वारा भुगतान प्राप्त करने के समय या इसके पूर्व इनवॉयस जारी किया जायेगा।
  iii. जहाँ किसी घटना के पूरा होने से भुगतान जुड़ा हुआ है वहाँ ऐसी घटना के पूरा होने की तारीख को या इसके पूर्व इनवॉयस जारी किया जायेगा।
- जहाँ सप्लाई के पूर्व माल को Approval Basis पर भेजा जा रहा हो वहाँ माल की सप्लाई के समय या माल को भेजे जाने की तारीख से छः माह तक, जो भी पहले हो, इनवॉयस जारी किया जायेगा।

बीजक निर्गमन का तरीका

1. **मालों के सप्लाई की स्थिति में** इनवॉयस तीन प्रतियों में निम्न तरीके से तैयार किया जायेगा :–
   a. मूल प्रति पर "मूल प्रति–प्राप्तिकर्त्ता के लिए" अंकित होगा।
   b. द्वितीयक प्रति पर "द्वितीयक–परिवहनकर्त्ता के लिए" अंकित होगा।
   c. तृतीय प्रति पर "तृतीयक–सप्लायर के लिए" अंकित होगा।

2. **सेवाओं के आपूर्ति की स्थिति में** इनवॉयस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा :–
   a. मूल प्रति पर "मूल प्रति–प्राप्तिकर्त्ता के लिए" अंकित होगा।
   b. द्वितीयक प्रति पर "द्वितीयक–सप्लायर के लिए" अंकित होगा।

एक टैक्स पीरियड (मास अथवा त्रैमास) के दौरान निर्गत हुए इनवॉयस के क्रमांकों को जी0एस0टी0 के कॉमन पोर्टल पर आउटवार्ड सप्लाई की विवरणी (बिक्री के ब्यौरे दाखिल करने की विवरणी) प्रपत्र GSTR-1 में दर्शाना होगा।